



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय महिला आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN
4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग
4, DEEN DAYAL UPADHYAYA MARG
नई दिल्ली–110 002
NEW DELHI–110 002
Website: www.ncw.nic.in



No.8/4(36)PM/2014-NCW

10-06-2014

To

The Chief Secretary Govt. of Uttar Pradesh Bapu Bhawan, Secretariat, Lucknow, UP

Sub- Recommendations of the Inquiry Committee constituted by NCW in connection with an incident in Badaun district of Uttar Pradesh

Sir,

I am directed to state that the National Commission for Women (NCW) had taken suo-motu cognizance and constituted an Inquiry Committee under Section 8(1), read with Section 10(1) and (4) of the NCW Act, 1990 to inquire into the alleged incident of two minor teenaged Dalit girls who were gang raped and hanged from a tree in a village, in Badaun District of Uttar Pradesh.

After inquiring into the said incident, the Commission has made recommendations which are enclosed.

I am directed to communicate that the State Government is requested to kindly take appropriate action in the matter and expeditiously intimate the Commission about action taken in this regard.

Yours sincerely,

(Raj Singh) Deputy Secretary

1 0 JUN 2014

सिफारिशें :-

- उत्तर प्रदेश पुलिस की भूमिका पूर्णत्या संदेह के घेरे में है। मामले की निष्पक्ष एवं
 स्वतंत्र रूप से जांच किया जाना अवश्यक है। इसलिए मामले की जांच केन्द्रीय अनवेष्ण ब्यूरो (सी.बी.आई.) के माध्यम से कराई जाए।
- मामले में दो अज्ञात अभियुक्तों की गिरफतारी तुरंत की जाए।
- मामले की प्रगति पर निरंतर समयक दृष्टि रखी जाना आवश्यक है ताकि पुलिस सही से न्यायालय में इस मामले की चार्जशीट निर्धारित समय सीमा में दाखिल कर सकें।
- मामले का निस्तारण फास्टट्रेक क़ोर्ट के हारा किया जाए।
- संबंधित पुलिस अधिकारियों पर लापरवाही बरतने एवं अपनी ड्यूटी ठीक से न करने तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज ने करने के कारण दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्राथमिकी दर्ज हो।
- पुलिस एवं समाज के मध्य दूरी को समाप्त करने के लिए उनके संबंधों में सुधार अपेक्षित है।
- पुलिस के उच्च अधिकारियों के विरुद्ध समयक कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में कोई अधिकारी ऐसा दोहराने की कोशिश न करे।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट चौकी एवं थानों पर अनिवार्य रूप से लिखी जाए इस हेतु पुलिस भारतीय दण्ड संहिता में वर्ष 2013 में किए गए संशोधनों की बाबत समयक जागरूकता पुलिस के मध्य फैलाए।
- महिला पुलिस अधिकारियों की पर्याप्त संख्या में तैनाती की जाए ताकि महिलाओं को अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाने व अपनी समस्याओं को बताने में कोई संकोच न हो।
- सार्वजनिक एवं घरेलू शौचालयों के निर्माण हेतु सरकार शीघ्रातिशीघ्र उपयुक्त कदम उठाए एवं उक्त शौचालयों के प्रयोग के बारे में समयक जागुरूकता लाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं बार—बार न दौहराई जाए।
- राज्य सरकार मृतकों के परिवार को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता मुहैया कराए और जब तक परिवार सदमें से न उभर जाए उन्हें सुरक्षा व जरूरी अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करे।
- राज्य सरकार तुरंत अपने सभी जिलों में एक बैठक आयोजित करे और राज्य स्तरीय अधिकारियों को यह आदेश जारी करे कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और एसे मामलों में उन पर जवाबदेही तय करे।
- राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि अपने राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों को समुचित दिशा निर्देश दे कि वे महिलाओं को त्वरित व न्याय दिला और उसका अनुपालन न करने पर कठोर से कठोर दण्ड निधारित करे।
- राज्य सरकार दोनों समुदायों के बीच सौहार्दथपूर्ण वातावरण निर्मित करने हेतु प्रयास करे ताकि गांव में शान्ति बहाल हो सके।